विचार बिन्दु

जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत-मलामत सुनने का शौक है। –शेख सादी

प्री वेडिंग शूट का बढ़ता चलन समाज में उचित या अनुचित

शादी से पहले प्री वेडिंग को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। वह भी एक समय था जब विवाह के दौरान फोटो खिंचवाकर उसे एल्बम में संजो कर रखते थे। इस एल्बम का क्रेज कुछ दिनों तक रहता और बाद में कहीं रखकर इसे भुला दिया जाता। समय बदला और अब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके है। कुछ समय पहले तक हम एल्बम के साथ वीडियो बनाकर अपने पास रख लेते थे। इस वीडियो को यदा-कदा देख लेते थे। मगर अब हमारा डिजिटलीकरण हो चुका है और इसी के साथ प्री वेडिंग के नाम से एक नई प्रथा शुरू हो गई है। अब जमाना सोशल मीडिया का है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, आदि का चलन लगभग हर घर में होने लगा है। युवा अपनी हर घटना को सोशल मीडिया पर परोसने लगा है तो प्री वेडिंग कैसे पीछे रहता। अब प्री वेडिंग भी सोशल मीडिया पर देखी जाने लगी है। प्री वेडिंग के वीडियो और फोटो देखकर सामान्य परिवारों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे है तो कुछ ना पसंद कर रहे है। यहीं से इसके समर्थन और विरोध में आवाजें बुलंद होने लगी है। कुछ सामाजिक संगठन इसे देश की संस्कृति के खिलाफ बता कर विरोध जता रहे है।

आजकल देशभर में प्री-वेडिंग शूट का एक चलन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में प्री वेडिंग शूट शादी की फोटो एल्बम बनाने से ज्यादा ज़रुरी बन चुके हैं। प्री वेडिंग देश में एक लक्जरी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है जो अपने बजट के हिसाब से किसी पार्क, रमणिक स्थल या किसी खूबसूरत स्थान पर ये शूट किए जाने लगे हैं। इसके तहत भावी दूल्हा-दुल्हन अपने परिवारजनो की सहमति से शादी से पूर्व फ़ोटोग्राफर के साथ देश के अलग-अलग स्थानों पर सैर-सपाटा करते हैं, बड़े होटलों, हेरिटेज बिल्डिंगों, समुद्री बीच व अन्य ऐसी जगहों पर जहाँ सामान्यतः पति-पत्नी शादी के बाद हनीमून मनाने जाते है, जाकर अलग-अलग और कम से कम परिधानों में एक-दूसरे की बाहो में समाते हुए वीडियो शूट करवाते है। विवाह से पहले किया जाने वाला वह फोटो/वीडियोग्राफी जिसमें होने वाले भावी दंपति अपने विवाह से पहले, एक प्रेमी जोड़े की भांति फोटो और वीडियो शूट करवाते हैं। जिसे वे मुख्य शादी वाले दिन बड़ी स्क्रीन पर एक शॉर्ट फिल्म के रूप में पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़े ही उत्साह के साथ पोस्ट करते हैं। इसे ही वीडियो शूट की संज्ञा दी जा रही है। इस प्रकार के आयोजन पर हजारों-लाखों का खर्चा भी किया जाने लगा है। मीडिया ख़बरों के अनुसार विवाह से पहले इस प्रकार के प्रचलन से समाज में कई प्रकार की समस्याएं उभरने लगी हैं। बहुत से परिवार इस खर्चे को सहन करने की स्थिति में नहीं होते है मगर आपसी दवाब के आगे झुक जाते है। विभिन्न रिपोर्टों में प्री-वेडिंग शूट को निजता का उल्लंघन बताते हुए इसे अनावश्यक खर्च और पारिवारिक तनाव का कारण बताया जाकर लोगों को सावचेत किया जा रहा है। समाज इसे स्टेटस सिंबल के रूप में देखता है, जो मर्यादा को कम करता है। शादी को सादगी और भारतीय परंपराओं के अनुरूप मनाना चाहिए। कुछ जागरूक संगठनों ने प्री-वेडिंग शूट जैसी कुरीतियों को रोकने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि विवाह एक पवित्र बंधन है, जो दो परिवारों और आत्माओं का मिलन है न कि दिखावे का जरिया।

समिति का कहना है, सोचिए जिन लोगों को वर-वधू को जीवनसाथी के रूप में स्वीकारते हुए आशीर्वाद देना होता है, उनके सामने ही विवाह से पूर्व के अत्यधिक अंतरंग दृश्य दिखाए जाते हैं। यह दृश्य देखकर अनेक लोग असहज हो जाते हैं, पर आधुनिकता के नाम पर चुप रहते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सब दोनों परिवारों की सहमति से हो रहा है। कई बार यह शूट कई दिनों का होता है, जिसमें युवक-युवती साथ में यात्रा और निवास भी करते हैं। ऐसे में मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है - जब सब कुछ पहले ही किया जा चुका है, तो विवाह संस्कार का अर्थ क्या रह जाता है?

बताया जाता है प्री-वेडिंग शूट एक पाश्चात्य संस्कृति है। जो पिछले कुछ दशक से भारत में भी घर-घर जगह बना रही है। प्री-वेडिंग शूट की कहानी भी बड़ी अजब गजब है। कई परिवारों में तनाव का एक कारण भी इसे बताया जा रहा है। शादी के पहले ही भावी दुल्हन और दूल्हा फिल्मी अंदाज में एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं। वे स्वयं को एक अभिनेता और अभिनेत्री की भांति दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। चाहे उन्हें अर्धनग्न वस्त्र ही क्यों ना पहनने पड़े। हालांकि कुछ जोड़ों ने अपने प्री-वेडिंग शूट को नया रूप देने के लिए धार्मिकता से भी जोड़कर बनाया है। यह भी देखा जाता है कि कुछ जोड़े प्री-वेडिंग शूट के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी शूट करवाते हैं। ऐसे दो मामलों में उनकी जान भी जा चुकी है। अपनी शादी को यादगार बनाने और उसे कैमरे में कैद कर सार्वजनिक स्थल में परोसने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं भारतीय समाज में पारिवारिक रिश्तों को तार-तार कर रही है। इस परंपरा को रोकना आवश्यक है ताकि विवाह के नाम पर युवक-युवती द्वारा फूहड़ प्रदर्शन का विपरीत असर सभ्य समाज पर न पड़े। कुछेक मामलों में ये उल्टा पड़ जाता है जब किसी वजह से शादी ही टूट जाए, लेकिन आज की जेनरेशन ये रिस्क लेने के लिए तैयार लगती है। भारतीय परपराओं के अनुसार प्री वेडिंग शूट गलत है। विवाह से पहले प्री वेडिंग शूट के बहाने इस प्रकार युवक-युवती का मिलना समाज के लिए कतई शोभनीय नहीं है। प्री वेडिंग शूट के बहाने एक-दूसरे के करीब आना गलत हैं जो फैशन बन रही है। इस पर सभी समाज को रोक लगाना चाहिए। शुरूआत घर से होना चाहिए।

जयपुर जैन सभा समिति ने भी लोगों को इस प्रवृति से सावचेत किया है। समिति का कहना है, सोचिए जिन लोगों को वर-वधू को जीवनसाथी के रूप में स्वीकारते हुए आशीर्वाद देना होता है, उनके सामने ही विवाह से पूर्व के अत्यधिक अंतरंग दृश्य दिखाए जाते हैं। यह दृश्य देखकर अनेक लोग असहज हो जाते हैं, पर आधुनिकता के नाम पर चुप रहते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सब दोनों परिवारों की सहमति से हो रहा है। कई बार यह शूट कई दिनों का होता है, जिसमें युवक-युवती साथ में यात्रा और निवास भी करते हैं। ऐसे में मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है – जब सब कुछ पहले ही किया जा चुका है, तो विवाह संस्कार का अर्थ क्या रह जाता है? यह प्रवृत्ति विशेष रूप से सम्पन्न घरानों से आरंभ हुई है, जो अपनी आर्थिक सामर्थ्य के प्रदर्शन हेतु परंपराओं की मर्यादा भुला बैठे हैं। दुर्भाग्यवश, इसका अनुकरण अब समाज के अन्य वर्ग भी करने लगे हैं। जैन सभा समिति का सवाल है, क्या यह वास्तव में प्रगति है या हमारी संस्कृति का पतन? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा ही उदाहरण देना चाहते हैं? आइए, विवेक से सोचें हमारी परंपरा, मर्यादा और संस्कृति को संभालना हमारी ही जिम्मेदारी है।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राशिफल शनिवार 15 नवम्बर, 2025

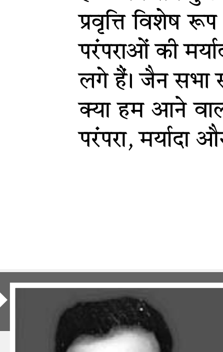

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:35 तक, विष्कुम्भ योग रविवार प्रातः 6:46 तक, बव करण दिन 1:44 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग रात्रि 11:35 से सूर्योदय तक है। आज उत्पन्न (वेतरागी) एकादशी व्रत, पदम प्रभु मोक्ष दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:11 से 9:31 तक, चर 12:11 से 1:32 तक, लाभ-अमृत 1:32 से 4:12 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:50, सूर्यास्त 5:32 तक

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

कन्या
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों एवं आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कुंभ
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आज शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मीन
र-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

भगवान बिरसा मुंडा - जनजातीय गौरव की गाथा

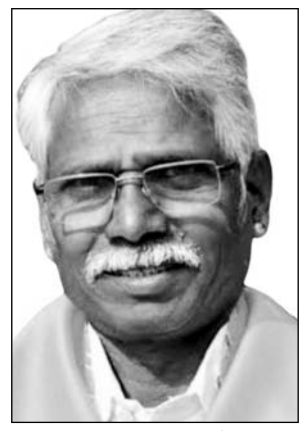

बाबूलाल खराड़ी

आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहें हैं, तब महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा को याद करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। 'धरती आबा' यानी धरती के पिता के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्र और जनजाति समुदाय के लिए जो कार्य किए, वे सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को झारखंड के उलिहातू गाँव में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने आदिवासी समाज पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को महसूस किया। बिरसा मुंडा का जीवन ब्रिटिश उपनिवेशवाद, साहूकारों के शोषण और जमींदारी प्रथा के क्रूर गठजोड़ के खिलाफ एक अटूट संघर्ष था। उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी मुंडा जनजाति की खुंटकट्टी (सामुदायिक स्वामित्व) कृषि प्रणाली को छीना जा रहा है, और उन्हें बेगार (बंधुआ मजदूरी) करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश शासन ने अपने क्रूर वन कानूनों (जैसे भारतीय वन अधिनियम 1865 और 1878) के माध्यम से आदिवासियों को उनकी पारंपरिक वन भूमि से वंचित कर दिया। उन्होंने जंगलों को व्यावसायिक लाभ के लिए आरक्षित वन घोषित कर दिया, जिससे आदिवासियों को लकड़ी काटने, मवेशी चराने, वनोत्पाद इकट्ठा करने या पारंपरिक शिकार करने से रोक दिया गया। इससे आदिवासियों की आजीविका और उनकी प्राचीन जीवनशैली पर सीधा हमला हुआ। बिरसा मुंडा ने इस शोषणकारी नीति और पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि भूमि, जल और जंगल पर आदिवासियों का सामूहिक अधिकार है और इन संसाधनों का उपयोग केवल सतत और न्यायपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिए न कि अनियंत्रित दोहन के लिए।

इस शोषण के विरुद्ध उन्होंने उलगुलान (महान विप्लव) आन्दोलन का आव्हान किया। यह केवल भूमि के लिए विद्रोह नहीं था, जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पैतृक अधिकार, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट किया, उनके बीच व्याप्त जाति और उपजाति के भेदों को मिटाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी सम्मान और अधिकारों के पात्र हैं।

उन्होंने अपने लोगों को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और अपनी गरिमा के लिए लड़ना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक न्यायिक प्रणाली जैसे पड़ा पंचायत और मानकी-मुंडा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने विवादों का निपटारा स्वयं कर सकें और बाहरी अदालतों पर निर्भर न रहें। उनका अबुआ राज (अपना राज) का विचार केवल ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना थी, जहाँ सभी को समान अधिकार मिलें, जहाँ किसी भी प्रकार का शोषण न हो और जहाँ हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को संगठित किया, उन्हें शस्त्रों के बजाय आत्म-विश्वास और सत्यनिष्ठा का बल दिया। 1897-1900 का बिरसा आंदोलन ब्रिटिश दमनकारी नीतियों एवं सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक प्रत्यक्ष और सशक्त चुनौती थी, जिसमें आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित विरोध किये। जनवरी, 1900 में डोम्बरी पहाड़ी पर जन सभा को संबोधित करते वक्त अंग्रेज सेना के साथ बिरसा मुंडा का टकराव हुआ एवं फरवरी में चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कैद कर रांची कारागार में रखा, जहाँ अंग्रेजों द्वारा इस आदिवासी महानायक को कई कठोर याजनाऐं दी गई । अन्ततः कारागार में बिरसा मुंडा जी की रहस्यमी परिस्थितियों में 9 जून, 1900 को मृत्यु हो गई।

बिरसा मुंडा केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे अपितु एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने देखा कि जनजाति समुदाय में असंगठन, अशिक्षा, आर्थिक तंगी का गलत लाभ उठाते हुए ईसाई मिशनरियों द्वारा भोले-भाले आदिवासियों का धर्मान्तरण किया जा रहा है एवं आदिवासियों को उनकी गौरवशाली प्राचीन परम्पराओं से विमुख किया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को उनके धर्म एवं परम्पराओं से जोड़ने के लिए कमर कसी एवं लगभग 1894-95 के आसपास, बिरसा ने एक आध्यात्मिक और सामाजिक-धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की जिसे बिरसाइत पंथ के नाम से जाना जाता है। यह पंथ मूल मुंडा परंपराओं और एकेश्वरवाद का एक अनूठा संगम था, जिसमें केवल सिंगबोंगा (सूर्य देवता) की पूजा पर जोर दिया गया और जनजाति समुदाय में साफ-सफाई, शुद्धता तथा नैतिकता को जीवन का आधार माना गया। उन्होंने जनजातीय समुदाय को अंधविश्वासों, पशु बलि और नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने का उपदेश दिया। उनका यह प्रयास दिखाता है कि उन्होंने केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आंतरिक बुराइयों से भी लड़ने का बीड़ा उठाया था।

बिरसा मुंडा की शहादत के वर्षों बाद भी उनका संदेश आज भी गूँजता है। उनके संघर्ष ने जनजातीय समुदायों को अधिकार और न्याय के लिए लड़ना सिखाया। उनकी प्रेरणा से ही देश में वन अधिकार अधिनियम, पेसा कानून और जनजातीय हितों की सुरक्षा के लिए कई संवैधानिक प्रावधान लागू हुए हैं।

बिरसा मुंडा हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व संसाधनों या उम्र से नहीं बल्कि साहस, नैतिकता और अपने लोगों के प्रति समर्पण से मापा जाता है। आज के भारत में जब हम समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब हमें बिरसा मुंडा के उस सपने को याद रखना होगा, जिसमे एक एक ऐसा समाज-निर्माण करने कि अभिलाषा है, जहाँ हर व्यक्ति को गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार हो और जहाँ प्रकृति का सम्मान सर्वोपरि हो। आइए, हम सब धरती आबा के दिखाए मार्ग पर चलें और उनके न्यायपूर्ण तथा समतावादी समाज के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें।

–बाबूलाल खराड़ी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री, राजस्थान सरकार

आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा का योगदान

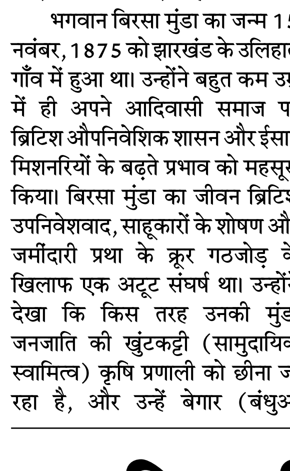

दुलीचन्द मीणा

बिरसा मुण्डा का जन्म 15 नवम्बर, 1875 को ऐसे समय हुआ जब आदिवासी सरदारों का आंदोलन चल रहा था। जिन्होने अपना राज्य वापस लाने के लिए प्रार्थना, विरोध और अर्जी देने की कानूनी और संवैधानिक नीति अपनाई थी। बिरसा संभवतः नव सरदारों के शक्तिशाली गुट के थे, जो उग्र नीति में विश्वास करते थे। मुण्डा आंदोलन की पृष्ठभूमि में भूमि-स्वामित्व-अपहरण संबंधी आक्रोश के साथ-साथ वनों के संरक्षण संबंधी सरकार के आदेश से जन-जातियों के उस परम्परागत अधिकारों को आघात था जिसके चलते वे वनों से लकड़ी काटकर निःशुल्क ईंधन ले जाते थे तथा वहां अपने पशुओं को चराते थे तथा तब चाहे वह जंगल से खेती के लिए जमीन ले लिया करते थे। बड़े स्तर पर आदिवासियों का धर्मान्तरण के साथ ही 1896-97 व 1899-1900 के अकालों से उनके बीच सुलगती असन्तोष की आग विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई। नई आबकारी नीति के कारण मुण्डाओं के बीच मद्यपान का रिवाज शुरू हुआ और मुण्डा-मजदूरों के चाय बागान तथा अन्य कारणों से बाहर जाने से उनके परम्परागत नैतिक मूल्यों और अधिकारिता पर चोट पहुंची।

बचपन में बिरसा चलकद में अपने मॉ-बाप के साथ ही रहा। बिरसा ने सलमा में जयपाल नाग की पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। बिरसा की मौसी जोनी की शादी होने पर वह बिरसा को अपने साथ ससुराल खटॉगा ले गई। यहां वह भेड़-बकरियां चराता था, लेकिन भावमग्न बिरसा अपने अध्ययन में इतना तल्लीन रहता था । बिरसा के भाई कोम्ता ने बिरसा को लुकास प्रचारक के साथ बुर्जु के जर्मन मिशन में भेज दिया जहां से बिरसा ने लोअर प्राईमरी परीक्षा दो वर्ष में पास की। जर्मन मिशन के रेवरेड पुट्सकिग बिरसा से बोले कि "हमारे यहां और पढाने की व्यवस्था नही है तुम चाईबासा जाओ, तुम पढाई मत छोड़ना तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है।" 11वें वर्ष में बिरसा चालकाड़ लौट आया। बिरसा को सन् 1886 में चाईबासा मिशन में उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती करा दिया गया। यहां बिरसा 1886 से 1890 तक रहा। यह उसके व्यक्तित्व का निर्माण काल था। इस समय आदिवासी सरदारों का भूमि आंदोलन चल रहा था। इस बीच मिशनरियों से आदिवासी सरदारों का विच्छेद हो गया। मिशनरियों ने आदिवासी सरदारों को धोखेबाज एवं ठग कहना शुरू कर दिया इसलिए बिरसा ने डॉ. नोट्रोट एवं मिशनरियों की तीखी आलोचना की। बिरसा ने आवाज बुलन्द की साहब-'साहब एक टोपी है।' इस पर बिरसा को मिशन से निकाल दिया गया। अत बिरसा चाईबासा मिशन छोड़कर चलकड चला गया। बिरसा का मन बहुत अस्थिर हो रहा था। अब बिरसा सिंबोङा की सैंगेल-दा की कहानी के बारे में पता लगाने के लिए बनगाँव के जमीदार जगमोहन सिंह के यहां गया। उनके मुंशी आनंद पाण्डे यह सब जानते थे। यहां उनके प्रभाव से बिरसा ने मांस खाना छोड़ दिया, उसने यज्ञोपतीत धारण किया, शरीर पर चन्दन लगाया, तुलसी की पूजा की, रामायण, महाभारत, पुराण सब सुने, गौवध रूकवाया। इस समय आदिवासी सरदार आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 1893-94 में गॉवों की सभी बंजर भूमि को जिस पर सरकार का स्वामित्व था सुरक्षित वन घोषित कर दिया। अन्य सरदारों की तरह बिरसा भी कुछ रैयतो को साथ लेकर चाईबासा गया और जंगल ऑफिस अर्जी दे आया था। इसका कोई फल नही निकला और बिरसा बनगाँव लौट आया। वहां आनन्द पाण्डे ने बिरसा के अर्जी देने से नाराज होकर कहा कि "तेरे लिए जगह नही है। पाण्डे के अधीन बिरसा के शिष्यत्व की अवधि 1893-94 में समाप्त हो गई।"

1894-95 में बिरसा का मसीहा के रूप में उदय हुआ। उस समय वे लोग जंगल के साग-पात से अपनी भूख मिटा रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मुण्डा महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। मुण्डा धार्मिक प्रथा के अनुसार शव को कुछ गहनों एवं धन के साथ गाड़ दिया गया। भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए बिरसा रात के समय कब्र खोदकर वह गहने व धन को निकाल लाया तथा बीरबांकी के बाजार में बेचकर परिवार के लिए अनाज ले आया। इस घटना की खबर चारों ओर फैल गई। पूछताछ करने पर बिरसा ने अपना अपराध कबूल कर लिया। बिरसा के माता-पिता ने बिरसा का लाया हुआ खाना खाने से इंकार कर दिया। उसे धर्म बहिष्कृत कर दिया। बिरसा चिल्लाकर पेट पीटता हुआ जंगल में चला गया। मई-जून 1895 में बिरसा के हृदय में सर्वोच्च प्रभू ने प्रवेश किया। बिरसा जंगल से जब गॉव लौटा तो उसने अनेक लोगों को अपने इंतजार में खड़ा पाया। बिरसा !, "करमी के चेहरे पर अविश्वास का भाव था।" "बिरसा मत कहो, मॉ । मैं भगवान हूँ। मैं ही भगवान हूँ। मैं सबके लिए जंगल-पहाड़, धरती सब जीतकर ला दूंगा।" उसने स्वयं को धरती आबा (धरती का पिता) घोषित किया। अब आस-पास के क्षेत्रों में बिरसा का व्यक्तित्व रोगों को दूर करने वाले, उपदेशक के रूप में, चमत्कार दिखाने वाले और पैगम्बर के रूप में निकलकर सामने आया।

अगस्त-नवम्बर 1895 में बिरसा का राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। वह बिरसा-राज एवं बिरसा-धर्म स्थापित करना चाहता था। सभी सरदार बिरसा आंदोलन के साथ जुड़ते चले गये। बिरसा के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ रही थी तथा चारों ओर बिरसा लोकप्रिय हो रहा था। विभिन्न थानों एवं ईसाई मिशनरियों ने सरकार को विभिन्न तरीके से बिरसा के कार्यकलापों की रिपोर्ट सौंपी। अन्ततः अगस्त 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और रांची ले जाया गया।

रांची के कमिश्नर ने बिरसा से जेल में मुलाकात की । बिरसा ने उससे कहा कि वह केवल धार्मिक विषयों पर लोगों में भाषण करता था। बिरसा पर मुकदमा चलाने का स्थान रांची से खूंटी ले जाया गया,जो कि मुण्डा क्षेत्र का गढ था ऐसा इसलिए किया गया कि बिरसा के दावों से धोखे में रहने वाले लोग मुकदमा खुद देख सकें तथा उसके दावों की व्यर्थता समझ सकें। अंत में डिप्टी कमिश्नर ने अपना फैसला सुनाया कि, "बिरसा भड़काने वाला हैं, आंदोलन का प्रवर्तक हैं, उसने मुण्डाओ के मन में अंग्रेज सरकार के प्रति अश्रद्धा पैदा की हैं। अतः बिरसा को दो वर्ष की सजा सुनाई गई।"

जब बिरसा जेल में थे तो 1896-97 में कोढ के रोग की तरह अकाल फैला। मुण्डा क्षेत्र में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक भुखमरी से 40 मौते हुई। ईसाई मिशनरियों ने सार्वजनिक भोज के प्रबंध किये लेकिन जमींदारों एवं सूदखोर महाजनों ने हृदयहीनता दिखाई। इन हालातो में आशा की एक मात्र किरण बिरसा का आंदोलन ही था। 30 नवम्बर,1897 को बिरसा को जेल से रिहा किया गया। रांची के डिप्टी कमिश्नर नें बिरसा से वायदा लिया कि वह रिहा होने के बाद कोई उपद्रव नहीं करेगा। जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद बिरसा के अनुयायी उससे मिले और पुनः आंदोलन करने के लिए अनुनय किया। इस प्रकार धार्मिक एवं राजनैतिक आंदोलन की पुनः शुरुआत हुई। इस क्रम में पैतृक स्थानों जैसे चुटिया, नवरतन, जगन्नाथपुरी आदि की यात्रा की गई तथा गुप्त बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें विद्रोह की रणनीति बनाई जाती थी। डोम्बारी पहाड़ी पर बैठक में बिरसा नें एक लाल झंडा और एक सफेद झंडा लिया। सफेद झंडा मुण्डाओ का प्रतीक था और लाल झंडा दिकुओं द्वारा मुण्डाओ और आदिवासियों के शोषण का प्रतीक था। बिरसा ने लाल झण्डे पर प्रहार किया और बिरसा ने घोषणा की कि "दिकुओं से कसकर लड़ाई होने वाली है, उन लोगों के खून से जमीन इस लाल झण्डे की तरह लाल हो जाएगी।" अपना धर्म एंव राज्य वापस लेने के लिए बिरसा का विद्रोह निर्बाध रूप से उग्रतापूर्ण था। बिरसा ने उलगुलान शुरू करने के लिए बड़े दिन के पूर्व का दिन यानी 24 दिसम्बर, 1899 निर्धारित किया गया। उलगुलान के दो खण्ड निश्चित किये गये। पहले में आग जलाकर, तीर छोड़कर कर क्रिस्तानों को डराने का कार्यक्रम था तथा दूसरे चरण में सशस्त्र संग्राम शुरु करना था।

खूटी थाना क्षेत्र में 24 तारीख की ही शाम को अनेक गिरीजाघरों पर तीर चलाये गये। रांची में छेदी मिस्त्री नामक व्यक्ति की तीर लगने से मृत्यु हो गई तथा अनेक लोगों को चोटें आई। सिंहभूमि क्षेत्र में आगजनी की ज्यादा घटनायें हुई। 24 दिसम्बर, 1899 की घटनाओं की लहर दूर-दूर तक फैल गयी इसके बाद मुंडाओं ने गिरिजाघरों व ईसाईयों पर हमले बंद कर दिए और आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक हो गया। 5 जनवरी को ऐटकेडीह में बिरसा के अनुयायी गया मुण्डा को गिरफ्तार करने आये पुलिस दल के दो सिपाहियों की मुण्डा विद्रोहियों ने तलवार से काट कर हत्या कर दी। दूसरे ही दिन रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड स्वयं ऐटकेडीह पहुंचे और गया मुण्डा को एक भारी विरोध के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस विरोध में गया मुण्डा के परिवार की महिलाओं ने वीरता का परिचय दिया।

उसी रात बोरतोडीह में विद्रोहियों की बैठक हुई और यह तय किया कि मुण्डा क्षेत्र के केन्द्र में खूंटी थाना सरकारी आधिपत्य का प्रतीक है, इसलिए उन्होने जोर से आवाज दी कि "खूटी में रहर की फसल पक गई है, आओ इसे काटें।" दूसरे ही दिन खूंटी थाने पर हमला कर दिया जहां एक सिपाही को मार डाला तथा थाने में आग लगा दी, लेकिन थाने में जो रूपया था उसे उन्होने छुआ तक नही। खूटी पर हमला विद्रोहियों की अधिकारियों के साथ सीधी बड़ी टक्कर थी। इस घटना के बाद रांची में आतंक फैल गया। रांची, सिंहभूम के एस.पी., कमिश्नर, पादरी, आमजनता सबमें दहशत का माहौल था। अब पुलिस एवं फौज सब विद्रोहियों को गिरफ्तार करने में जुट गये।

ब्रिटिश अधिकारियों को खबर मिली कि सईल रकब पहाडी पर 9 जनवरी को विद्रोही मुण्डाओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। 25 दिसम्बर 1899 से ही विद्रोही बडी संख्या में सईल रकब पहुंचने लगे थे वे वहां सपरिवार आये थे तथा सईल रकब को एक अभेद्ध दुर्ग मानते थे। इस पहाडी को पुलिस व सेना ने घेर लिया इस कार्यवाही में स्वयं कमिश्नर साथ थे। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड ने विद्रोहियों से बिरसा को सौपने एवं आत्म समर्पण करने को कहा। लेकिन उठा मुण्डाओं मे से नरसिंह मुण्डा ने अंग्रेजी सेना को ललकारते हुए कह कि "अब राज हम लोगो का है अंग्रेजों का नहीं, मुण्डा आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार है।" अन्ततः विद्रोही व सेना में आमने-सामने की कार्यवाही हुई। पहाडी से विद्रोही गुलेलो एवं पत्थरो की वर्षा कर रहे थे। पुलिस गोलीबारी कर रही थी। विद्रोहियों में महिला व पुरूष दोनों ही थे। अनेक बिरसा विद्रोही गोलीबारी में मारे गये।

पहाड़ी पर बिखरे पड़े शव नरसंहार की कहानी बया कर रहे थे, पुलिस ने पहाड़ी पर बिखरी पड़ी लाशों को दो बडी खाईयों में गाड दिया। 'द स्टेटमैन' अखबार के मुताबिक इसमें कम से कम 400 मुण्डा मारे गये। मुण्डाओं के वकील वैरिस्टर जैकब ने मृतको की संख्या के इस अनुमान को सही माना। रातोंरात वह पहाड़ी गोलीकाण्ड की पहाड़ी के नाम से जानी जाने लगी।

इस घटना का मुण्डा लोकगीतों में बड़े मार्मिक ढंग से चर्चा की गई है, सात नदियां विद्रोहियों के गरम-गरम खून से उबल पड़ी, ऊपर से धुंआधार गोलियां मौत उगल रही थी, सईल रकब की घटना के बाद रांची एवं सिंहभूम जिले में विद्रोहियों की धर-पकड़ शुरू की गई। बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए पांच सौ रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया तथा अन्य सरदारों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया। विद्रोह को कुचलने के लिए दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस व सेना का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया। बिरसा आंदोलन को कुचल डालने के लिए भयानक आतंक बरपा दिया गया। उनके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की गई, सताया गया, बुरी तरह पीटा गया, उनसे प्रश्न पूछे गये, उनकी सम्पत्ति लूट ली गई तथा बहिन-बहुओं का शील हरण किया गया । मुण्डाओं के दमन के लिए सारे हथकण्डे अपनाये गये। सरकारी की इस दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप प्रमुख मुण्डा सरदार डोंका एवं माझिया ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। अनेक मुण्डाओ को बिरसा समर्थको को गिरफ्तार कराने के लिए इनाम दी गई। बिरसा को पकड़वाने के लिए मानमारू और जरीकेल के सात आदमी पांच सौ रूपये के लोभ मे पड गये उन्होनें सेंतरा के जंगल में बिरसा को रात को धोखे से सोते हुए पकड लिया और बंदगाँव में कैम्प डाले डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दिया। उन्हें पांच सौ रूपये का इनाम दिया गया। पुलिस ने विद्रोह की आशंका को देखते हुए बिरसा को खूटी के रास्ते रांची पहुंचा दिया गया। जेल में बिरसा ने कई बार ऐसे उद्दरण एवं मसीही भाषा में प्रलाप किया जो उसके मानसिक व्यथा और बिगडते स्वास्थ्य के धोतक थे। बिरसा की जेल में तबियत खराब हो रही थी अन्ततः 9 जून को प्रातः 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा के शव परीक्षण में मृत्यु का कारण एशियाटिक हैजे को बताया गया। बिरसा मुंडा की मृत्यु के कारणों पर ओर अधिक अनुसंधान की जरूरत हैं। यद्यपि मुण्डा विद्रोही मुण्डा राज स्थापित करने में सफल नही हो पाये लेकिन 1903 के काश्तकारी संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रथम बार मुण्डा खुंटकट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई।

1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आया जिसके अधीन मुण्डाओं को भूमि समस्या के संबंध में जो विशेष अधिकार मिले उतने भारतीय खेतीहरों के किसी भी वर्ग को कभी भी नहीं मिलें थे। आदिवासीयों एवं प्रशासन को एक साथ लाने के लिए प्रशासनिक सुधार करते हुए 1905 में खूंटी तथा 1908 में गुमला को अनुमण्डल बनाया गया। बिरसा-धर्म मसीहावाद पर आधारित था जिसका प्रभाव उरांव जनजाति के ताना भगत आंदोलन, गोविंदगिरी के भील आंदोलन, 1930-31 के हरिबाबा आंदोलन एवं महात्मा गांधी द्वारा किये गये आंदोलन पर पडा। आदिवासी महासभा द्वारा 1938 में बिरसा को आदिवासी जागरण के प्रतीक के रुप में स्वीकार किया। इस प्रकार बिरसा ने न केवल आदिवासीयों के मसीहा बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के नायक के रूप में दिकुओं से लड़ाई लडी और शहीद हुए।

–दुलीचन्द मीणा,
आर.ए.एस